तत्काल/ IMMEDIATE

भारत सरकार/ Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग/ Department of Atomic Energy
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction, Services & Estate Management
(आबंटन अनुभाग/ Allotment Section)

दूसरा तल, उत्तर स्कंध,/ 2nd floor, North Wing,
विक्रम साराभाई भवन,/ Vikram Sarabhai Bhavan,
अणुशक्तिनगर,/ Anushaktinagar,
मुंबई 400 094 / Mumbai - 400 094.

सं.: निसेसंप्रनि/1/19/आबंटन/2025-26/Part-I/638 09 July 2025

परिपत्र / CIRCULAR

विषय: आबंटन वर्ष 2025-2026 में जिन स्थानों की प्राथमिकता सूची कवर की गई है उन के लिए विशेष आबंटन - REG

SUB: SPECIAL ALLOTMENT FOR LOCATIONS WHEREIN COMPLETE PRIORITY LIST IS COVERED FOR ALLOTMENT YEAR 2025-2026 – REG

REF: (i) परिपत्र संख्या निसेसंप्रनि/1/19/2025-26/भाग-I/616 दिनांक 19.06.2025
Circular no. DCSEM/1/19/2025-26/Part-I/616 dated 19.06.2025

(ii) परिपत्र संख्या निसेसंप्रनि/1/19/2025-26/भाग-I/626 दिनांक 24.06.2025
Circular no. DCSEM/1/19/2025-26/Part-I/626 dated 24.06.2025

निर्माण, सेवाएं और संपदा प्रबंधन निदेशालय ने उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार टाइप ई-I आनंद भवन, टाइप सी एटोमिका और टाइप सी घाटकोपर में गैर-आबंटित फ्लैटों को ऑफलाइन आबंटन हेतू सभी पात्र डीएई कर्मचारियों, जिनकी अद्यतन प्रोफाइल डीएई निवास में उपलब्ध है और जिनकी प्राथमिकता संख्या 11.04.2025 को प्रकाशित अंतिम प्राथमिकता सूची में ली गई है, को प्रस्तुत किये गए ।

Directorate of Construction, Services and Estate Management, vide above referred circulars, conducted offline allotment of un-allotted flats in Type EI Anand Bhavan, Type C Atomica and Type C Ghatkopar, offering these flats to all eligible DAE employees whose updated profile is available in DAE Niwas and whose priority nos. are derived in Final Priority List published on 11.04.2025.

2. विशेष आबंटन के परिणाम के प्रकाशन के बाद, यह पाया गया कि टाइप ई-I आनंद भवन और टाइप सी घाटकोपर में प्रस्तावित फ्लैट पूरी तरह से आबंटित नहीं किए गए, जबकि टाइप सी एटोमिका में एक फ्लैट का चयन करने के बाद कर्मचारी ने उसे रद्द कर दिया।

Post publication of result for special allotment, it was found that flats offered in Type EI Anand Bhavan and Type C Ghatkopar remained completely un-allotted while one flat in Type C Atomica was cancelled by the employee after opting for the same.

3. पउवि समर्थित शहरी विकास मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन 14.07.2003 को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने जो फ्लैट विशेष परिपत्र जारी होने के बाद भी आबंटित नहीं किए गए उन्हें अधिशेष फ्लैटों के रूप में वर्गीकृत करने और **सामान्य लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर** पात्रता को एक कदम कम करके कर्मचारियों को आबंटित करने की मंजूरी दे दी है। तदनुसार, पात्रता को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।

Keeping in view DAE endorsement of MoUD OM dated 14.07.2003, as these flats remained un-allotted even after issuance of special circular, the Competent Authority has approved to categories them as surplus flats and allot them to employees in one step lower the entitlement on payment of normal licence fee. Accordingly, entitlement is defined as follows.

Sr. No.	Flats available in	Employees Eligible from priority list of
01.	टाइप ई-I आनंद भवन Type EI Anand Bhavan	टाइप ई आनंद भवन Type E Anand Bhavan
02.	टाइप सी एटोमिका Type C Atomica	टाइप बी एटोमिका Type B Atomica
03.	टाइप सी घाटकोपर Type C Ghatkopar	टाइप बी घाटकोपर Type B Ghatkopar

केवल वे कर्मचारी जिनका नाम 11.04.2025 को प्रकाशित टाइप ई आनंद भवन, टाइप बी एटॉमिका और टाइप बी घाटकोपर के लिए निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए अंतिम प्राथमिकता सूची में है, वे क्रमशः टाइप ई-I आनंद भवन, टाइप सी एटॉमिका और टाइप सी घाटकोपर में गैर-आवंटित फ्लैटों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Only those employees whose name appears in the Final Priority List for AY 2025-26 published on 11.04.2025 for **Type E Anand Bhavan, Type B Atomica & Type B Ghatkopar** can apply for un-allotted flats in Type EI Anand Bhavan, Type C Atomica and Type C Ghatkopar, respectively.

4. ऑफ़लाइन वरीयता प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदित मानदंड निम्नानुसार हैं: The criteria approved for submitting offline preference are as follows:

a. जिन कर्मचारियों के नाम उच्चतर पात्र प्रकारों अर्थात् टाइप ई-I और टाइप सी में हटाए जाने के कारण टाइप ई/टाइप बी में हटा दिए गए हैं, वे इस आबंटन के लिए पात्र नहीं होंगे।

Employees whose names are DROPPED in Type E/ Type B on account of being dropped in higher eligible type's i.e. Type EI and Type C will not be eligible for this allotment.

b. जिन अधिकारियों को इस विशेष आबंटन में फ्लैट आबंटित किया जायेगा, उन्हें शेष आबंटन वर्ष के लिए नियमित टाइप ई - आनंद भवन / टाइप बी एटोमिक और घाटकोपर के लिए नहीं माना जाएगा, भले ही कर्मचारी द्वारा बाद में फ्लैट रद्द कर दिया गया हो।

Officials who are allotted a flat in this special allotment will not be considered for regular Type E – Anand Bhavan / Type B Atomica & Ghatkopar for the rest of Allotment Year even though the flat is cancelled by the employee subsequently.

c. इसकी विशेष व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, ट्रांजिट आवास में रहने वाले अधिकारियों के लिए इन फ्लैटों के लिए अपना विकल्प चुनना अनिवार्य नहीं होगा।

Considering its special dispensation, it will not be compulsory for the officials staying in transit accommodation to exercise their option for these flats.

5. इस बीच, जून 2025 के आबंटन परिणाम के प्रकाशन के बाद, यह देखा गया कि टाइप सी बांद्रा के लिए पूरी प्राथमिकता सूची को भी कवर किया गया है। एक बार की विशेष छूट के रूप में, इस निदेशालय के सक्षम प्राधिकारी ने सभी टाइप सी पात्र डीएई कर्मचारियों को जिनकी प्राथमिकता संख्या 11.04.2025 को प्रकाशित अंतिम प्राथमिकता सूची (किसी भी स्थान के लिए) में प्राप्त की गई है, टाइप सी बांद्रा फ्लैट देने की मंजूरी दे दी है, । आबंटन ऑफ़लाइन मोड में किया जाएगा जिसके लिए भरा जाने वाला वरीयता फॉर्म अनुलग्नक-I में संलग्न है।

Meanwhile, post publication of June 2025 Allotment Result, it was observed that complete priority list for Type C Bandra has also been covered. As one time special dispensation, the Competent Authority in this Directorate has approved to offer Type C Bandra flats to all Type C eligible DAE employees whose priority nos. are derived (for any location) in Final Priority List published on 11.04.2025. The allotment will be conducted in offline mode for which preference form to be filled is attached in Annexure–I.

6. टाइप सी बांद्रा के लिए ऑफ़लाइन वरीयता फॉर्म जमा करने के लिए अनुमोदित मानदंड निम्नानुसार हैं: The criteria approved for submitting offline preference form for Type C Bandra are as follows:

a. वे अधिकारी जिनका अद्यतन प्रोफाइल डीएई निवास में उपलब्ध है और जिनकी प्राथमिकता संख्या टाइप सी (किसी भी स्थान के लिए) में उपलब्ध है, केवल वे ही इस विशेष आबंटन के लिए पात्र होंगे।

Officials whose updated profile is available in DAE Niwas and whose priority nos. are derived in Type C (for any location) will only be eligible for this special allotment.

b. जिन कर्मचारियों को टाइप सी नियमित आबंटन (नए/समान श्रेणी में परिवर्तन) में लघु एवं प्रमुख मरम्मत फ्लैट (श्रेणी बी एवं सी) अनंतिम रूप से आवंटित किए गए हैं और जिनका फ्लैट आज तक तैयार नहीं हुआ है, वे भी एकमुश्त उपाय के रूप में इन फ्लैटों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Employees who have been PROVISIONALLY ALLOTTED minor and major repair flat (Category B & C) in Type C regular allotment (fresh /change in same category) and whose flat is not ready till date, can also APPLY for these flats as a onetime measure.

बांद्रा में टाइप सी फ्लैट्स के आवंटन पर, आवेदक को इस विशेष परिपत्र आबंटन परिणाम के प्रकाशन की तिथि से 02 दिनों की अवधि के भीतर पहले के नियमित आबंटन कार्यक्रम में अनंतिम रूप से आबंटित फ्लैट और नए आबंटित टाइप सी बांद्रा फ्लैट के बीच चयन करना होगा। यदि कर्मचारी द्वारा विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो नए आबंटित फ्लैट को रद्द कर दिया जाएगा और उसे वापस खाली कर दिया जाएगा।

On allotment of Type C Flats in Bandra, applicant will be required to choose between the provisionally allotted flat in earlier regular allotment schedule and newly allotted Type C Bandra flat within a period of 02 DAYS from date of publication this Special Circular allotment result. In case, the option is not exercised by the employee, newly allotted flat will be cancelled and taken back into vacancy.

c. जिन कर्मचारियों के नाम उच्चतर पात्र प्रकारों अर्थात् टाइप डी और टाइप डी-स्पेशल में हटाए जाने के कारण टाइप सी में हटा दिए गए हैं, वे इस आबंटन के लिए पात्र नहीं होंगे।

Employees whose names are DROPPED in Type C on account of being dropped in higher eligible type's i.e. Type D and Type D-Special will not be eligible for this allotment.

d. इसकी विशेष व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, ट्रांजिट आवास में रहने वाले अधिकारियों के लिए इन फ्लैटों के लिए अपना विकल्प चुनना अनिवार्य नहीं होगा।

Considering its special dispensation, it will not be compulsory for the officials staying in transit accommodation to exercise their option for these flats.

e. मुंबई में अपने संबंधित इकाइयों में स्थानांतरण के बाद शामिल हुए अधिकारी (दिनांक 11.04.2025 को अंतिम प्राथमिकता सूची 2025-26 के प्रकाशन के बाद) और जिन्होंने आवंटन वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन किया है, वे भी एकमुश्त उपाय के रूप में इन फ्लैटों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

Officials joined on transfer to their respective units in Mumbai (post publication of Final Priority List 2025-26 on 11.04.2025) and have applied for Allotment Year 2025-26 are also eligible to APPLY for these flats as a onetime measure.

f. जिन अधिकारियों को इस विशेष आबंटन में फ्लैट आवंटित किया गया है, उन्हें शेष आबंटन वर्ष के लिए उनके संबंधित प्रकारों में नियमित टाइप सी आबंटन के लिए विचार नहीं किया जाएगा, भले ही कर्मचारी द्वारा बाद में फ्लैट रद्द कर दिया गया हो।

Officials who are allotted a flat in this special allotment will not be considered for regular Type C allotment in their respective types for the rest of Allotment Year even though the flat is cancelled by the employee subsequently.

g. दूसरी बार बदलाव की अनुमति नहीं है। जो कर्मचारी पहले ही उसी श्रेणी में बदलाव का लाभ उठा चुके हैं, वे इस आबंटन के लिए पात्र नहीं होंगे।

Second change is not allowed. Employees who have already availed change in same category will not be eligible for this allotment.

7. टाइप ई-I आनंद भवन, टाइप सी एटॉमिका, टाइप सी बांद्रा और टाइप सी घाटकोपर के आबंटन के लिए स्थापना/प्रशासन अनुभाग से अलग से प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि प्रासंगिक विवरण निर्धारण वर्ष 2025-2026 के लिए 11.04.2025 को प्रकाशित अंतिम प्राथमिकता सूची से प्राप्त किए जाएंगे।

No separate certification from establishment / administration section would be required for allotment of Type EI Anand Bhavan, Type C Atomica, Type C Bandra and Type C Ghatkopar as relevant details will be obtained from the Final Priority List published on 11.04.2025 for AY 2025-2026.

8. अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति रोस्टर का संचालन पहले इस आबंटन के लिए किया जाएगा, उसके बाद नियमित जुलाई 2025 आबंटन किया जाएगा।

The SC/ST Roster will be operated first for this allotment followed by the regular July 2025 allotment schedule.

9. इस निदेशालय में सक्षम प्राधिकारी ने उन वैज्ञानिक सहायकों को एक बार अवसर प्रदान करने का भी निर्देश दिया है, जिनका नाम टीआरए सूची (केवल वैज्ञानिक सहायकों के लिए पारगमन आवास) के लिए निर्धारण वर्ष 2025-26 की अंतिम प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं था।

The Competent Authority in this Directorate has also directed to provide one time opportunities to those Scientific Assistants whose names were not included in Final Priority List of AY 2025-26 for TrA list (Transit accommodation for Scientific Assistants only).

ऐसे कर्मचारी जो पारगमन आवास के आबंटन में रुचि रखते हैं, वे अनुलग्नक-I में संलग्न प्रपत्र के भाग 1 और 3 में अपना विवरण प्रदान कर सकते हैं। प्रमाणित डेटा प्राप्त होने पर, इन कर्मचारियों के लिए केवल टाइप टीआरए के लिए प्राथमिकता संख्या प्राप्त की जाएगी और उन्हें इस महीने के अंत में टाइप टीआरए में पुनः बुलाने पर विचार किया जाएगा।

Such employees who are interested in allotment of transit accommodation can provide their details in Section 1 & 3 of the form attached in Annexure – I. On receipt of certified data, priority number will be derived for these employees for Type TrA only and they will be considered for re-call in Type TrA towards the end of this month.

10. सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित आधारों पर टीआरए के लिए प्राथमिकता सूची को पुनः चलाने का निर्देश दिया है:

The Competent Authority has directed to re-run the priority list for TrA on following grounds:

a. वर्ष 2025-2026 में टाइप TrA अणुशक्तिनगर से हटाए गए कर्मचारियों को पुनः सक्रिय किया जाएगा और एक बार के उपाय के रूप में आबंटन के लिए बुलाया जाएगा। हालाँकि, यदि उन्हें फिर से हटा दिया जाता है, तो वर्ष 2025-26 के लिए संबंधित प्रकारों की वर्तमान प्राथमिकता सूची से उनकी हटाई गई स्थिति बरकरार रहेगी ।

Employees DROPPED from Type TrA Anushaktinagar the year 2025-2026 will be re-activated and CALLED for allotment as a one-time measure. However, if they are dropped again, their Dropped status from current priority list of respective types for the year 2025-26 will be maintained.

b. जिन कर्मचारियों को वर्तमान आबंटन वर्ष अर्थात् 2025-26 के दौरान टाइप ट्रा फ्लैट (तैयार/मरम्मत) आवंटित किया गया था और जिन्होंने उस आबंटन को रद्द कर दिया है, उन्हें भी एकमुश्त उपाय के रूप में आबंटन के लिए बुलाया गया है।

Employees who were ALLOTTED a Type TrA flat (ready/repair) during current allotment year i.e. 2025-26 and have CANCELLED that allotment are also CALLED for allotment as a onetime measure.

11. टाइप ईआई आनंद भवन, टाइप सी एटोमिका, टाइप सी बांद्रा और टाइप सी घाटकोपर के आबंटन के लिए विधिवत भरे हुए ऑफ़लाइन आवेदन 10 जुलाई से 15 जुलाई 2025 तक daeniwas_help@dcsem.gov.in पर ईमेल किए जाने हैं। किसी अन्य माध्यम से/किसी अन्य ईमेल आईडी पर सबमिट किए गए स्कैन किए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवंटन अनुभाग में कोई हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी।

Duly filled offline applications for allotment of Type EI Anand Bhavan, Type C Atomica, Type C Bandra and Type C Ghatkopar are to be e-mailed from **10h July to 15th July 2025** to **daeniwas_help@dcsem.gov.in** The scanned application submitted by any other mode / to any other email ID will not be considered. **No Hard copies will be accepted in Allotment Section.**

12. इस आबंटन का ऑफ़लाइन परिणाम संभवतः 18 जुलाई 2025 को प्रकाशित किया जाएगा।
The offline result of this allotment will be published tentatively on 18TH July 2025.

यह निदेशालय में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।
This issues with the approval of Competent Authority in this Directorate.

उपरोक्तानुसार संलग्न
Encl.: As above.

आशा जैसन 9.7.2025

(आशा जैसन / Asha Jaison))

(प्रशासनिक अधिकारी / Administrative Officer - III (संपदा प्रबंध / EM)

प्रति To,

मुंबई के पऊवि इकाइयों के प्रशासनिक प्रमुख
Administrative Head of DAE Units in Mumbai

d:\d drive\kedar\schedule\2025-2026\special circular\second bilingual circular on special allotment for locations wherein complete priority list is covered for allotment year 2025-2026.doc

अनुलग्नक – I

टाइप ई-I आनंद भवन, टाइप सी घाटकोपर, टाइप सी एटॉमिका और टाइप सी बांद्रा के विशेष आबंटन के लिए आवेदन

आवेदन संख्या केवल आधिकारिक प्रयोग के लिए	

* कृपया ब्लॉक को केवल बड़े अक्षरों से भरें
* यदि लागू न हो तो पूरा भाग काट दें
टिक मार्क ☑ लागू में

खंड 1: व्यक्तिगत डेटा

इकाई | सी.सी. नं. / / | कर्मचारी संख्या. | पिछला सी.सी. नं. (यदि कोई हो) / /

श्री/श्रीमती/सुश्री/कुमारी . उपनाम | पहला नाम | मध्य नाम

पदनाम (वर्तमान) | विभाजन

जन्म तिथि | लिंग : पुरुष ☐ महिला ☐ | वैवाहिक स्थिति: : विवाहित ☐ अविवाहित ☐

अ.जा ☐ अ.ज ☐

स्थाई खाता संख्या | शारीरिक रूप से विकलांग ☐

खंड-2: विशेष आबंटन के लिए उपलब्ध फ्लैटों को वरीयता

क. टाइप ई-I – आनंद भवन (केवल आनंद भवन सूची के टाइप ई कर्मचारी ही आवेदन कर सकते हैं)

इलाका	आवास क्र. और मंजिला	प्रकार	रखरखाव की स्थिति	वरीयता (संख्या में)
आनंद भवन डीएई क्वार्टर्स, भूलाभाई देसाई रोड, मुंबई - 400 026	03 (शून्य तल)	EI	हल्की मरम्मत	
	13 (पहली मंजिल)	EI	तैयार	
	18 (पहली मंजिल)	EI	तैयार	

ख. टाइप सी – एटोमिका (केवल टाइप बी एटॉमिका सूची के कर्मचारी ही आवेदन कर सकते हैं)

इलाका	Flat no.	प्रकार	रखरखाव की स्थिति	वरीयता (संख्या में)
एटोमिका डीएई क्वार्टर्स, पी.के. अत्रे मार्ग, वरळी, मुंबई - 400 018.	07 (शून्य तल)	C	तैयार	

ग. टाइप सी – घाटकोपर (केवल टाइप बी घाटकोपर सूची के कर्मचारी ही आवेदन कर सकते हैं)

इलाका	Flat no.	प्रकार	रखरखाव की स्थिति	वरीयता (संख्या में)
घाटकोपर डीएई क्वार्टर्स, सिंघानी एस्टेट, एल.बी.एस. मार्ग, घाटकोपर, मुंबई 400 086।	C – 07 (पहली मंजिल)	C	तैयार	
	C – 11 (दूसरी मंजिल)	C	तैयार	

घ. टाइप सी – बांद्रा

इलाका	Flat no.	प्रकार	रखरखाव की स्थिति	वरीयता (संख्या में)
डीएई अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 379, 15वीं रोड, बांद्रा, मुंबई।	B – 11 (दूसरी मंजिल)	C	तैयार	
	B – 08 (पहली मंजिल)	C	प्रमुख मरम्मत	
	C – 03 (शून्य तल)	C	प्रमुख मरम्मत	

खंड-3: टाइप TrA – अणुशक्तिनगर (ऑनलाइन आबंटन)

(केवल उन वैज्ञानिक सहायकों के लिए जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2025 को या उससे पहले हुई है, लेकिन जिनका नाम 11.04.2025 को प्रकाशित TrA के लिए अंतिम प्राथमिकता सूची में नहीं)

अ: यदि आप स्टाइपेंडरी प्रशिक्षु हैं, तो कृपया निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें

अवशोषण पर पदनाम	प्रशिक्षण योजना शामिल होने की तिथि DD MM YY YY	डीएई में अवशोषण की तिथि DD MM YY YY	वेतन स्तर और उस स्तर में वेतन अवशोषण पर (₹)		वेतन स्तर और उस स्तर में वेतन 01/04/2025 के अनुसार (₹)	
SA / _____			स्तर		स्तर	
			वेतन		वेतन	

ब. यदि सीधे जुड़े हैं, तो कृपया निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें

अवशोषण पर पदनाम	डीएई में अवशोषण की तिथि DD MM YY YY	वेतन स्तर और उस स्तर में वेतन अवशोषण पर (₹)		वेतन स्तर और उस स्तर में वेतन 01/04/2025 के अनुसार (₹)
SA / _____				

क्या ट्रांजिट आवास में रुचि है (केवल वैज्ञानिक सहायकों के लिए): हाँ / नहीं

घोषणा

मैं सरकारी आवास आवंटन (डीएई) मुंबई नियम 1982 और समय-समय पर संशोधित नियमों तथा उसके तहत जारी निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सही है और मुझे पता है कि किसी भी जानकारी के गलत पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

तारीख: _____ आवेदक के हस्ताक्षर

संपर्क नम्बर: कार्यालय _____ गतिमान _:_____

ई-मेल आईडी: आधिकारिक _____ निजी:_ _____

खंड-4: वैज्ञानिक सहायक के प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित होना हैं (संबंधित स्थापना अनुभाग द्वारा)

आवेदक द्वारा खंड 1 एवं खंड 3 में बताए गए तथ्यों की सेवा अभिलेखों से पुष्टि की गई है तथा वे सही पाए गए हैं।

दिनांक: प्रशासनिक प्राधिकारी की मुहर सहित हस्ताक्षर

प्रति,

सकाअ, आबंटन अनुभाग, निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय.

ANNEXURE -I

APPLICATION FOR SPECIAL ALLOTMENT OF TYPE EI ANAND BHAVAN, TYPE C GHATKOPAR, TYPE C ATOMICA TYPE C BANDRA o

Application No. (For official use only)	

* PLEASE FILL THE BLOCKS WITH CAPITAL LETTERS ONLY
* STRIKE OUT WHOLE SECTION IF NOT APPLICATBLE

TICK MARK ☑ IN APPLICABLE BOXES

SECTION-1: PERSONAL DATA

UNIT | C.C. No. | Employee No. | Previous C.C. No. (If any)

Shri/Smt./Ms./Kum. | SURNAME | FIRST NAME | MIDDLE NAME

DESIGNATION (Present) | DIVISION

DATE OF BIRTH (D D M M Y Y Y Y) | BELONGS TO : SC ☐ ST ☐

Gender : Male ☐ Female ☐ | Marital Status: Married ☐ Unmarried ☐

PAN No | Physically Handicapped ☐

SECTION-2: FLATS AVAILABLE FOR SPECIAL ALLOTMENT

A. TYPE EI – ANAND BHAVAN (EMPLOYEES FROM TYPE E ANAND BHAVAN LIST CAN ONLY APPLY)

Locality	Flat no. & (Floor no)	Type	Maintenance Status	Preference (In No)
Anand Bhavan DAE Quarters, Bhulabhai Desai Road, Mumbai - 400 026	03 (Ground floor)	EI	Minor Repairs	
	13 (First floor)	EI	Ready	
	18 (First floor)	EI	Ready	

B. TYPE C – ATOMICA (EMPLOYEES FROM TYPE B ATOMICA LIST CAN ONLY APPLY)

Locality	Flat no. & (Floor no)	Type	Maintenance Status	Preference (In No.)
Atomica DAE Quarters, P.K. Atre Marg, Worli, Mumbai - 400 018.	07 (Ground Floor)	C	Ready	

C. TYPE C – GHATKOPAR (EMPLOYEES FROM TYPE B GHATKOPAR LIST CAN ONLY APPLY)

Locality	Flat no. & (Floor no)	Type	Maintenance Status	Preference (In No.)
Ghatkopar DAE Quarters, Singhani Estate, L.B.S. Marg, Ghatkopar, Mumbai 400 086.	C – 07 (First floor)	C	Ready	
	C – 11 (Second floor)	C	Ready	

D. TYPE C – BANDRA (ANY EMPLOYEE ELIGIBLE FOR TYPE C WHOSE PRIORITY NOS. ARE DERIVED (FOR ANY LOCATION) CAN APPLY)

Locality	Flat no. & (Floor no)	Type	Maintenance Status	Preference (In No)
DAE Apartments, Plot No.379, 15th Road, Bandra, Mumbai - 400 050.	B-11 (Second floor)	C	Ready	
	B-08 (First floor)	C	C –Major Repairs	
	C-03 (Ground floor)	C	C –Major Repairs	

SECTION-3: TYPE TrA – ANUSHAKTINAGAR (ONLINE ALLOTMENT) (ONLY FOR THOSE SCIENTIFIC ASSISTANTS APPOINTED ON OR BEFORE 1st APRIL 2025 BUT WHOSE NAME DOES NOT APPEAR IN FINAL PRIORITY LIST FOR TrA PUBLISHED ON 11.04.2025)

A : IF THROUGH STIPENDARY TRAINEE, PLEASE FURNISH FOLLOWING DETAILS

DESIGNATION ON ABSORPTION	DATE OF JOINING TRAINING SCHEME D D M M Y Y Y Y	DATE OF ABSORPTION IN DAE D D M M Y Y Y Y	PAY LEVEL & PAY IN LEVEL AS ON ABSORPTION		PAY LEVEL & PAY IN LEVEL ON 01/04/2025 (₹)	
SA / _____			LEVEL		LEVEL	
			PAY		PAY	

B : IF JOINED DIRECTLY, PLEASE FURNISH FOLLOWING DETAILS

DESIGNATION ON ABSORPTION	DATE OF ABSORPTION IN DAE D D M M Y Y Y Y	PAY LEVEL & PAY IN LEVEL AS ON ABSORPTION		PAY LEVEL & PAY IN LEVEL ON 01/04/2025 (₹)	
SA / _____		LEVEL		LEVEL	
		PAY		PAY	

Whether interested in Transit accommodation (Only for **Scientific Assistants**): Yes / No

DECLARATION

I agree to abide by the Allotment of Government Residence (DAE) Mumbai Rules 1982 and as amended from time to time and instructions issued thereunder. I certify that the information furnished above are correct and I am aware that action as deemed fit will be taken in the event of any information found incorrect.

Date: _____ **Signature of Applicant**

Contact Nos: Office: _____ **Mobile:** _____
E-mail ID: Official: _____ **Personal:** _____

SECTION-4: TO BE CERTIFIED BY THE SCIENTIFIC ASSISTANT'S ADMINISTRATIVE AUTHORITY (By Concerned Establishment Section)

The facts as stated above by the applicant at Section 1 & Section 3 have been verified from the service records and are found correct)

Date: **Signature with seal of Admin. Authority**

To,
APO, Allotment Section, DCSEM